



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक:-प.3/8(1)कार्मिक/क-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 15 MAY 2017

::परिपत्र::

विषय:- अखिल भारतीय सेवायें (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.04.2017 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवायें (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के प्रावधानानुसार अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु वित्त विभाग से अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची में मेट्रो मानस आरोग्य सदन हार्ट केयर एवं मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जयपुर को भी पी.पी.पी. मोड की श्रेणी में रहने की अवधि तक स्थायी रूप से एतद्वारा जोड़ा जाता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101702064 दिनांक 01.05.2017 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अरविन्द पोसवाल)

संयुक्त शासन सचिव
टे.नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (राजस्थान संवर्ग)।
4. वित्तीय सलाहकार शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सक्षम प्राधिकारी, मेट्रो मानस आरोग्य सदन हार्ट केयर एवं मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव